न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 84 / 2019(2019 / 00309)

अनुवान : —

1. रामगोपाल पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री विनोद सिंगाठिया —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय दिनांक : 08/10/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 77 / 79 के मुरब्बा न0 104 की कुल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में श्योचन्द 64 हिस्सा, नानूराम 96 हिस्सा, सदासुख 160 हिस्सा व चक 9 एनटीआर के खाता संख्या 15 / 12 के मुरब्बा न0 103 की कुल 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि में चन्दू 24 हिस्सा, नानू 36 हिस्सा, सदासुख 60 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय चक 9 एनटीआर के खाता संख्या 77 / 79 में प्रार्थी का सही नाम चन्दूराम के स्थान पर श्योचन्द व खाता संख्या 15 / 12 में चन्दूराम के स्थान पर चन्दू दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम चन्दूराम की बजाये श्योचन्द व चन्दू दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के दादा के श्योचन्द व चन्दू नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम चन्दूराम पुत्र लिछमण दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रामगढ़ के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में चन्दूराम की बजाये श्योचन्द व चन्दू दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी अपने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम श्योचन्द व चन्दू पुत्र लिछमण के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम चन्दूराम पुत्र लिछमण दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्दूराम के स्थान पर श्योचन्द व चन्दू दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थी का नाम श्योचन्द व चन्दू दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के चक 9 एनटीआर में खाता संख्या 77/79 व 15/12 में प्रार्थी का नाम चन्दूराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी रामगोपाल पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर के साक्ष्य करवाये गये। चक 9 एनटीआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 77/79 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 15/12 प्रदर्श 2, आधार कार्ड रामगोपाल प्रदर्श 3ए, आधार कार्ड चन्दूराम प्रदर्श 4ए, पहचान पत्र रामगोपाल प्रदर्श 5ए, परिवार राशन कार्ड रामगोपाल प्रदर्श 6ए, पहचान पत्र चन्दूराम प्रदर्श 7ए, भामाशाह सुमित्रा प्रदर्श 8ए, पैन कार्ड रामगोपाल प्रदर्श 9ए, बैंक पास बुक चन्दूराम प्रदर्श 10ए, बैंक पास बुक चन्दूराम प्रदर्श 11ए, बैंक पास बुक चन्दूराम प्रदर्श 12ए, मृत्यु प्रमाण पत्र चन्दूराम प्रदर्श 13ए प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 77/79 एवं 15/12 में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] पिता का सही नाम चन्दूराम के स्थान पर श्योचन्द व चन्दू दर्ज [illegible]" [illegible] में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति [illegible] पत्र, परिवार राशन कार्ड व बैंक पासबुक पेश किये है जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम [illegible]राम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 77/79 व 15/12 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम "**श्योचन्द व चन्दू के स्थान पर चन्दूराम उर्फ चन्दू उर्फ श्योचन्द**" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच श्योचन्द/चन्दू पुत्र लिछमण के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए श्योचन्द/चन्दू ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested